

फर्द अहकाम

(नियम 13)

GCMS

2020/00005

28.10.2020

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. राभाराम

हलका. निबंलकोट

पुत्र श्री. जालाबाबू जाति. जाट

निवासी. (पाकोटी) गौदारी की टोली

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.05/वर्ष.2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका. निबंलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निबंलकोट के खसरा नंबर (77) रकबा 800 वर्ग फुट किस्म भूमि के मु.नं. 05 पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
29-7-2020	पत्रावली प्राप्त पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हलका निबंलकोट सायल ने प्रवाव प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किस्म गैर सायल को एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो	राभाराम प. निबंलकोट

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

13-8-2020


पत्रावली भाण पेश हुई। और साभल
अनुपास्थिते। पखारी हल्का अनुपास्थिते।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। और साभल
अनुपास्थिते। पखारी हल्का उपास्थिते।
और साभल के अतिक्रमि चेषित
करते हुए पत्रावली फेसल सुधार
हो। निर्णय खुले अध्यालय के
सुनाना गण्य पत्रावली फेसल सुधार
होकर दाखिल्य दफतर हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर


पं निम्बलकोर